उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन)

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांकः 12197/यू0पी0–रेरा/तक.प्रकोष्ठ/2023–24 दिनांकः 23, सितम्बर, 2023

कार्यालय आदेश

विभिन्न माध्यमों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ प्रोमोटर्स द्वारा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के समय उपलब्ध कराये मोबाइल नम्बर अक्रियाशील हैं। कुछ प्रकरणों में उपलब्ध कराये गये नम्बर कोई रिसीव नहीं करता अथवा उपयुक्त जवाब नहीं देता। इसी प्रकार रेरा से पत्राचार के संबंध में अलग–अलग प्रोमोटर्स द्वारा अलग–अलग प्रक्रिया अपनायी जा रही हैं। कुछ प्रोमोटर्स की ओर से किये जाने वाले पत्राचार में पत्र के आधिकारिक होने का कोई आधार उपलब्ध नहीं होता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रोमोटर्स तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रेरा से किये जाने वाले पत्राचार के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं –

1. प्रोमोटर द्वारा अपना अथवा अपने किसी प्रतिनिधि का जो मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराया गया है, उसे रिसीव करने की तथा समुचित जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चत की जाय। यदि बड़ी परियोजनाओं में प्रोमोटर ने हेल्पलाइन नम्बर दिया है तो यह सुनिश्चित करेगा कि हेल्पलाइन नम्बर क्रियाशील हो और उपभोक्ताओं के समुचित उत्तर दिया जाए।
2. उ.प्र. रेरा से पत्राचार करने हेतु अधिकृत किये गये व्यक्ति का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी, आवासीय पता, कार्यालय का पता उ.प्र. रेरा कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय।
3. पत्राचार करते समय पत्र प्रेषित करने वाले का स्पष्ट शब्दों में नाम, पदनाम, तथा मोबाइल नम्बर का उल्लेख किया जाये। कंपनी बोर्ड के जिस प्रस्ताव द्वारा संबंधित व्यक्ति को पत्राचार अथवा अन्य किसी कार्य हेतु अधिकृत किया गया है, वह प्रस्ताव (Resolution) उ.प्र. रेरा कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाये।
4. उक्त अधिकृत व्यक्ति से भिन्न किसी प्रतिनिधि/व्यक्ति द्वारा किया गया पत्राचार मान्य नहीं होगा।
5. उ.प्र. रेरा पोर्टल पर प्रोमोटर के डैशबोर्ड पर उपर्युक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक फार्म की व्यवस्था की गयी है। कृपया पोर्टल पर उपर्युक्त विवरण उपलब्ध करा दें।
6. उपलब्ध करायी गयी सूचना में किसी कारण से नाम, मोबाइल नम्बर, ईमेल आई.डी. आदि में कोई परिवर्तन हो तो परिवर्तित सूचना भी उपलब्ध करा दी जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चत किया जाये।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव

TAC

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं सूचना हेतु।

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
2. मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3. न्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4. प्रमुख सलाहकार, उ. प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5. संयुक्त सचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6. उपसचिव, उ.प्र. रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
7. तकनीकी सलाहकार, उ. प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
8. सहायक निदेशक सिस्टम, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
9. प्रशासनिक अधिकारी, उ.प्र. रेरा लखनऊ/क्षेत्रीय कार्यालय।
10. अन्य सम्बन्धित को एवं गार्ड फाइल।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव